राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :— 2554 / 2015

महेन्द्र कुमार शर्मा **—अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त सह सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2015
आदेश की दिनांक : 02.02.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारंभ में राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर आदेश दिनांक 11.01.1994 (अनुलग्नक—1) द्वारा कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.07.2004 (अनुलग्नक—2) द्वारा वर्ष 2001—02 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक निदेशक, कृषि विस्तार पद पर पदोन्नत किया गया था। आदेश दिनांक 14.06.2010 (अनुलग्नक—3) द्वारा कनिष्ठ व्यक्तियों को उप निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नत किया गया। यह निवेदन किया गया है कि रमेश कुमार जारोली और अन्य व्यक्ति अपीलार्थी से कनिष्ठ है, जो सहायक निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नति आदेश से स्पष्ट है। अपीलार्थी के प्रकरण को वर्ष 2010—11 की रिक्ति के विरुद्ध उप निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नति के लिए नहीं माना गया क्योंकि अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 (अनुलग्नक—4) जारी होने के बाद अपीलार्थी की तीसरी संतान थी। इस संबंध में, दिनांक 20.06.2001 के सभी सेवा नियमों में अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि ''किसी भी व्यक्ति को पदोन्नति की तारीख से पांच भर्ती वर्ष के लिए पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा या दिनांक 01.06.2002 के बाद उसके 2 से अधिक बच्चे हैं''। अपीलार्थी पर वर्ष 2010—11 की रिक्ति के विरूद्ध उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया क्योंकि दिनांक 01.06.2002 के बाद उसकी तीसरी संतान है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2015—16 के लिए उप निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नति के लिए रिक्तियों

का निर्धारण किया गया था, डीपीसी आयोजित करने से पहले पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई थी और सूची के अनुसार अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में नंबर 1 पर है और अपीलार्थी के कॉलम के सामने क्या वह योग्य है या नहीं, यदि कारण न बताएं तो ''हां'' के रूप में चिह्नित किया गया है। क्रमांक 2 पर दया शंकर का नाम मौजूद है और उनके नाम के आगे ''नहीं'' की टिप्पणी की गई है और उन्हें पात्र घोषित नहीं किया गया है क्योंकि उनके तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है (अनुलग्नक–5)। आदेश दिनांक 29.07.2015/31.07.2015 (अनुलग्नक–6) द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्ति के लिए डीपीसी बुलाई गई थी और विचार क्षेत्र के अनुसार, अपीलार्थी का नाम नंबर 1 पर था और दो पदों को अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था और अपीलार्थी के नाम पर उसकी पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 18.08.2015 (अनुलग्नक–7) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 20.06.2001 के संशोधन के कारण वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया इसलिए अपीलार्थी वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध उप निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है। परन्तु विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग निर्देशित किया जावे कि रिव्यू डीपीसी कराई जाकर वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध उप निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नति करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी सहायक निदेशक कृषि (वि०) के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी श्री महेन्द्र कुमार शर्मा के दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरी सन्तान होने के कारण कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.06.2001 के अनुसार 5 वर्ष के पश्चात् पदोन्नति प्रदान किये जाने के नियमों का उल्लेख है। वर्ष 2015–2016 में उप निदेशक कृषि (वि०) के दो रिक्त पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन दिनांक 31.07.2015 को हुआ। इस वर्ष में दोनों पदों को आरक्षित वर्ग एस.सी. एवं एस.टी. के बैकलॉग होने के कारण आरक्षित वर्ग के अधिकारियों द्वारा ही भरी जानी थी। सामान्य वर्ग के लिए पद रिक्त नही है, पदोन्नति उपलब्ध रिक्त पदों के आधार पर की जाती है। वर्ष 2015–2016 में सामान्य वर्ग के लिए पद उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नत नही किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चियों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती

दी जा सकती है। अपीलार्थी उक्त तथ्यों को वर्तमान अपील में स्थापित करने में असमर्थ रहा है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में यह अनुतोष चाहा गया है कि रिव्यू डीपीसी कराई जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2015–16 की रिक्ति के विरूद्ध उप निदेशक, कृषि विस्तार के पद पर पदोन्नति करते हुए समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावे। प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलार्थी का वर्ष 2010–11 में डीपीसी हेतु विचार किया गया परन्तु अपीलार्थी को 01 जून, 2002 के पश्चात सन्तान में वृद्धि (दो से अधिक होने के कारण) पदोन्नति हेतु योग्य नहीं पाया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा बहस के समय निवेदन किया गया कि कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के द्वारा सन्तान संबंधी प्रकरणों के संबंध में संशोधन कर दिया गया है और उनके द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की प्रति उपलब्ध कराई गई है एवं उसके अनुरूप अपीलार्थी से प्रकरण में कार्यवाही हेतु निवेदन किया। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 में सन्तान संबंधी प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः–

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1st June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1st June, 2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of thissub-rule:"

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सन्तान संबंधी नियमों में संशोधन कर दिया गया है और ऐसे कार्मिक जिन्हें पूर्व में 01 जून, 2002 के पश्चात दो से अधिक सन्तान होने के कारण पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया था, के प्रकरणों में पदोन्नति पर विचार करने हेतु आवश्यक संशोधन किए गए है। अतः

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 की अनुपालना में अपीलार्थी के पदोन्नति प्रकरण पर विचार किया जावे तथा अधिसूचना के अनुसार पात्र पाये जाने की दशा में पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जावे एवं उक्त अधिसूचना के अनुसार पारिभाषिक परिलाभ प्रदान किये जावे। उक्त निर्देशों की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जावे। इसी निर्देश के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

आदेश आज दिनांक..................को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य